



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी सचिन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्त सचिन पुत्र महेन्द्र निवासी आवास विकास कालोनी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बडौत पर मु0अ0सं0 570/2011 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सचिन को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

@baghpatpolice



श्री इन्द्रपाल सिंह एडीजीसी

baghpatpolice



नि0 श्री पवन कुमार शर्मा विवेचक



है0का0 नीदू कुमार कोर्ट पैराकार

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी विपिन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्त विपिन पुत्र महिपाल निवासी पुष्पाजंली कालोनी लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 85/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विपिन को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

@baghpatpolice



श्री इन्द्रपाल सिंह एडीजीसी

baghpatpolice



उ0नि0 श्री सूरज सिंह विवेचक



का0 सुनील कुमार कोर्ट पैराकार

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक 31.07.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 241/26 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित ₹ 25,000/- ईनामिया अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 टीवीएस Radeon मोटर साईकिल रजि0 नं0 UP17V 8469 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.07.2026 को थाना दोघट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फौलादनगर में प्रतिबंधित पशु कटान के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना दोघट पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो एक मकान के अंदर प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले। विशेषज्ञों की टीम द्वारा मौके से अवशेषों को एकत्रित कर आवश्यक परीक्षण हेतु भेजा गया। मौके पर मिली एक महिला अभियुक्ता से महिला पुलिस द्वारा पूछताछ की गई,



जिसमें अन्य परिवारीजनों की संलिप्तता प्रकाश में आई । जिसके आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 241/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोघट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 241/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित/ ₹ 25,000/- इनामिया 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 30.07.2026 को थाना दोघट पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ₹ 25,000/- का इनामिया एवं वांछित अभियुक्त वाजिद पुत्र भूरा निवासी ग्राम फौलादनगर, थाना दोघट, जनपद बागपत मोटरसाइकिल से ग्राम मिलाना जंगल की ओर से आने वाला है। सूचना पर थाना दोघट पुलिस द्वारा ग्राम मिलाना जंगल से 800 मीटर पहले तिराहे पर चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान अभियुक्त को रोककर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, जिस पर उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त वाजिद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 टीवीएस Radeon मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP17V 8469 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी पर ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. वाजिद पुत्र भूरा निवासी ग्राम फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 32 वर्ष। (घायलावस्था में)

बरामदगी का विवरण—

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर
- एक अदद टीवीएस Radeon मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन नं0 UP17V 8469

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री केवल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री विपिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-उ०नि० श्री दिव्य कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-उ०नि० श्री ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-है०का० 748 रामजीलाल थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 6-है०का० 877 अनिल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 7-का० 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-31.07.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 884/19 धारा 366 भा०द०वि० में 07 वर्षों से फरार चल रहे वांछित 25000/- रुपये के इनामी अभियुक्त कंवरपाल को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 884/19 धारा 366 भा०द०वि० में 07 वर्षों से फरार चल रहे वांछित 25000/- रुपये के इनामी अभियुक्त कंवरपाल को गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 07 वर्षों से फरार / वांछित अभियुक्त कंवरपाल पुत्र भंवर सिंह की गिरफ्तारी पर 25000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया था ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-कंवरपाल पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम खुरमपुर थाना कुण्डली जनपद सोनीपत हरियाणा ।

घटना स्थल -

परशुराम मूर्ति के सामने गौरीपुर मोड से सोनीपत वाले रास्ते पर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अंकित कुन्तल थाना कोतवाली बागपत ।

2-है0का0 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत ।

3-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत ।

4-का0 467 टिंकू थाना कोतवाली बागपत ।

5-का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनांक 31.07.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाना दोघट के मु0अ0स0 224/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाना दोघट के मु०अ०स० 224/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नदीम पुत्र इमामुद्दीन निवासी धोबियान फाटक के पास थाना लुहारीगेट दिल्ली नार्थ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ०नि० श्री अनुज कुमार थाना रमाला बागपत।

2-है०का० 819 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 31.07.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस एवं स्वाट टीम बागपत की संयुक्त टीम ने चैंकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 03 पिस्टल .32 बोर, 02 तमंचे .12 बोर व 01 तमंचा .315 बोर तथा एक गाडी स्विफ्ट नं0- DL12CR8942 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस एवं स्वाट टीम बागपत की संयुक्त टीम द्वारा चैंकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 03 अवैध पिस्टल .32 बोर, 02 अवैध तमंचे .12 बोर व एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है तथा एक गाडी स्विफ्ट नं0 डीएल-12सीआर8942 बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 256/26 धारा 3/25 ए.एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इस्तखार पुत्र अरशद निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 03 अवैध पिस्टल .32 बोर ।
- 02 अवैध तमंचे .12 बोर ।
- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त इस्तखार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 478/24 धारा 147.149.307.504 भादवि थाना कोतवाली बागपत ।
2. मु0अ0सं0- 256/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री सूर्यदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 2-उ0नि0 श्री स्नेह प्रकाश थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 3-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 4-है0का0 210 दानवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 5-का0 201 अनिल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 6-का0 231 गौरव विदौलिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 7-स्वाट प्रभारी मय टीम जनपद बागपत

